न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी– डॉ. प्रतिभा सिंह, आई.ए.एस.

राजस्व प्रथम अपील संख्या 121/2025

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1. भरत कुमार पुत्र उकाजी जाति माली, निवासी सिरोडी, तहसील रेवदर, जिला सिरोही		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रेवदर, जिला सिरोही, 2. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग रेवदर, जिला सिरोही।

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही के द्वारा राजस्व अपील संख्या 35/2022 अनवान भरत कुमार बनाम राज. सरकार वगैराह में दिनांक 30.12.2022 को पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री सिद्धार्थ परिहार, महेन्द्र टांक, विद्वान अधिवक्ता, अपीलाण्टस् की ओर से।
2. श्री नवलसिंह दहिया, विद्वान अधिवक्ता, रेस्पोडेण्ट्स की ओर से।

:: **निर्णय** ::

दिनांकः 23 सितम्बर, 2025

1. अपील पत्रावली में अंकित तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि सहायक अभियन्ता, सा. नि.वि. उपखण्ड रेवदर के पत्र दिनांक 03.9.2021 के द्वारा तहसीलदार, रेवदर को अपीलाण्ट भरत कुमार पुत्र उकाजी माली, निवासी सिरोडी व अन्य दो व्यक्ति श्री शेरुखान पुत्र अहमद खान, जाति पिंजारा, गांव लुणोलवाला व श्री अशोक कुमार पुत्र अम्बालाल जी, जाति हरिजन, निवासी सिरोडी के विरूद्ध संयुक्त रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि ग्राम सिरोडी में सिरोडी से टोकरा जाने वाली डामर सडक (ग्रामीण सडक) सीमा में क्षेत्रफल 18.72 वर्गमीटर, 11.18 वर्गमीटर, 6.50 वर्गमीटर व 27.36 वर्गमीटर भूमि पर केबिन व कच्चा शेड लगाकर ग्रामीण सड़क पर अतिक्रमण किया हुआ है, इसलिये इन व्यक्तियों के उक्त अतिक्रमण को हटाये जाने के आदेश पारित किये जाये। सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, रेवदर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 03.09.2021 में मौके का नजरी नक्शा भी अंकित किया गया है। सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, रेवदर की उक्त रिपोर्ट दिनांक 03.09.2021 के आधार पर अपीलाण्ट भरत कुमार व उक्त शेरुखान व अशोक कुमार के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, रेवदर द्वारा प्रकरण संख्या 35/2021 अंतर्गत धारा 91 राजस्थान

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दर्ज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 27.09.2021 को पारित कर अपीलाण्ट व दो अन्य को ग्राम सिरोडी से टोकरा डामर सड़क पर केबिन व कच्चा शेड द्वारा अतिक्रमण मानकर अतिक्रमी घोषित किया जाकर मौके से भौतिक रूप से बेदखल करने का आदेश पारित किया गया।

2. अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, रेवदर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.09.2021 से व्यथित होकर प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही के न्यायालय में प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम अपील का निर्णय दिनांक 07 मार्च 2022 को पारित कर अपीलाण्ट को ग्रामीण सड़क पर अतिक्रमी मानकर प्रथम अपील को खारिज किया गया। तत्पश्चात् अपीलाण्ट द्वारा उक्त आदेश दिनांक 07.03.2022 से व्यथित होकर द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई। न्यायालय हाजा के द्वारा अपीलाण्ट की द्वितीय अपील को आंशिक रूप से स्वीकर कर आदेश दिनांक 04.04.2022 पारित कर अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलेक्टर सिरोही को प्रकरण इन दिशा–निर्देशो के साथ रिमाण्ड किया गया कि अपीलांट को नोटिस देकर, उसे सुनवाई का समुचित अवसर देकर अपीलाधीन भूमि पर अपीलांट द्वारा चलाये जा रहे केबिन की भूमि के संबंध में पुनः मौका निरीक्षण करवाकर एक माह की समयावधि में पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

3. न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 04.04.2022 की पालना में अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही द्वारा प्रकरण पुनः दर्ज कर प्रकरण का पुनः निर्णय दिनांक 30.12.2022 को पारित किया गया कि अपीलाण्ट को सिरोही–टोकरा ग्रामीण सड़क सीमा में अतिक्रमी मानकर अपीलाण्ट की अपील को खारिज किया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.12.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 13.01.2023 को प्रस्तुत की गई है।

4. पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित है। बहस उभय पक्षकारान् की सुनी गई।

5. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश न्याय, नियम, अभिलेख के खिलाफ पारित किया गया है, क्योकि माननीय न्यायालय द्वारा इसी प्रकरण में प्रस्तुत अपील संख्या 63/2022 को निर्णित करते हुए जिन दिशा–निर्देशो के साथ मामला अतिरिक्त जिला कलेक्टर को प्रेषित किया गया था, उन निर्देशो की कोई पालना नहीं की गई एवं पूर्व की तरह ही फैसला कर अपील को खारिज कर दिया गया ।

6. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी अभिकथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार का आदेश दिनांक 27.09.2021 मूल रूप से अधिकार विहिन होने के कारण निरस्त करने योग्य था। जिस भूमि के संदर्भ में नायब तहसीलदार, रेवदर द्वारा आदेश दिया गया है, वह भूमि खसरा नंबर 482 की आबादी भूमि है यह निर्विवाद तथ्य है। ऐसी स्थिती

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

में तहसीलदार को धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत कोई कार्यवाही ग्राम पंचायत के प्रार्थना पत्र के बिना करने के अधिकार ही नही थे। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने इस बिन्दू पर बिना कोई गौर किये निर्णय कर दिया एवं कानूनी प्रावधानो पर गौर ही नहीं किया। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश अपास्त योग्य है।

7. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी अभिकथन किया कि विवादग्रस्त भूमि पर अपीलाण्ट सन् 1981 से बतौर ग्राम पंचायत के किरायेदार की हैसियत से काबिज है एवं ग्राम पंचायत द्वारा इसका किराया अपीलार्थी से वसूल किया जाता रहा है। इस पर बिजली का कनेक्शन भी अपीलार्थी के नाम से लिया हुआ है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर सिरोही के समक्ष जो रिपोर्ट तहसीलदार एवं सहायक अभियन्ता द्वारा पेश की गई वह कानूनन मान्य ही नही है क्योकि वे स्वयं इस मामले में पक्षकार है जिनके द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट कोई कानूनन अहमियत ही नही रखती है। माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 04.04.2022 द्वारा मामला अतिरिक्त जिला कलेक्टर सिरोही को रिमाण्ड करने के पश्चात बाला बाला एक मौका रिपौर्ट बनाकर पत्रावली पर पेश की गई जो अपीलार्थी की गैर मौजूदगी में पेश की गई जिस पर अपीलार्थी द्वारा एतराज पेश किये जाने पर पुनः मौका निरीक्षण का आदेश दिया गया। उक्त मौका निरीक्षण दिनांक 26.11.2022 को मौके पर अपीलार्थी की मौजूदगी में तैयार की गई मौके पर सड़क के दोनो और स्थित निर्माण कार्यों को दर्शाते हुए नाप सहित नक्शा बनाया गया एवं उस नजरी नक्शे पर अपीलार्थी के हस्ताक्षर करवाये गये परन्तु रेस्पोडेन्ट ने न्यायालय में रिपोर्ट पेश करते समय केवल एक पेज जिस पर अपीलार्थी के हस्ताक्षर है वह पेश किया तथा इसके पीछे नजरी नक्शा अलग ही तरह का बनाकर पेश कर दिया जबकि मौके पर नाप चौप करते हुए अपीलार्थी के हस्ताक्षर सुदा जो नजरी नक्शा था, उसे रिपोर्ट के साथ पेश ही नही किया गया एवं सही तथ्यो को छुपाया गया। इसकी जानकारी जब अपीलार्थी को हुई तो अपीलार्थी ने इस पर अपना लिखित एतराज पेश किया। जिसकी नकल रेस्पोडेन्ट्स को दी गई परन्तु रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई जबाब नही दिये जाने के बावजुद अपीलार्थी की आपत्ती खारिज कर दी गई ।

8. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी अभिकथन किया कि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर सड़क के दोनो और के मकानो के रंगीन छाया चित्र एवं वीडियो का पेन ड्राईव अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर पेश किया गया था, परन्तु उस पर कतई कोई गौर ही नही किया गया एवं न निर्णय में उसका कोई उल्लेख किया गया। उक्त वीडियो एवं छाया चित्रो से यह स्पष्ट था कि अपीलार्थी का मकान किसी सड़क सीमा में नही आता है बल्कि इसी लाईन में सड़क के दोनो और अनेको दुकाने एवं मकानात तथा स्वयं ग्राम पंचायत की दुकाने बनी हुई है, जिस सड़क का अपीलाधीन आदेश में उल्लेख किया गया है, वैसी कोई सड़क राजस्व नक्शे में दर्शायी हुई ही नही है तथा न सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज है। स्वयं सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियन्ता के पत्र दिनांक 08.04.94 से यह स्पष्ट है कि जिस सडक का अपीलाधीन आदेश में उल्लेख

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

किया गया है उसका सार्वजनिक निर्माण विभाग से कोई सम्बधं नही है तथा न इसका रख रखाव सार्वजनिक निमार्ण विभाग द्वारा किया जाता है।

9. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी अभिकथन किया कि अपीलार्थी सन 1981 से ग्राम पंचायत की आबादी भूमि पर किरायेदार की हैसियत से काबिज है जबकी आबादी क्षेत्र में स्थित जिस सड़क का उल्लेख किया गया है उसका निर्माण वर्ष 2004 में किया गया है। पुरानी आबादी बस्ती में स्थानीय रास्तो का कोई सीमा निर्धारण होता ही नही है। ऐसा लगता है कि तहसीलदार एवं सहायक अभियन्ता ने किसी एक व्यक्ति जिसका मकान बिलकुल सड़क पर बना हुआ है उसे लाभान्वित करने के उददेश्य से कार्यवाही प्रारम्भ की है अन्यथा अपीलार्थी के विरूद्ध कोई कार्यवाही करने का आधार ही नही था । अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.12.2022 व नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.09.2021 निरस्त किया जाये तथा अपीलार्थी के विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही निरस्त की जाये।

10. प्रत्युतर में रेस्पोडेण्ट की ओर से विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने यह अभिकथन किया कि सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, रेवदर की रिपोर्ट दिनांक 03.09.2021 के आधार पर अपीलाण्ट भरत कुमार व शेरुखान व अशोक कुमार के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, रेवदर द्वारा प्रकरण संख्या 35/2021 अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दर्ज किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 27.09.2021 को पारित किया गया तथा अपीलाण्ट व दो अन्य को ग्राम सिरोडी से टोकरा डामर सड़क पर केबिन व कच्चा शेड द्वारा अतिक्रमण मानकर अतिक्रमी घोषित किया जाकर मौके से भौतिक रूप से बेदखल करने का आदेश पारित किया गया। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, रेवदर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.09.2021 से व्यथित होकर प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही के न्यायालय में प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही द्वारा निर्णय दिनांक 07 मार्च 2022 के द्वारा अपील अपीलाण्ट खारिज की गई। तत्पश्चात् अपीलाण्ट द्वारा उक्त आदेश दिनांक 07.03.2022 से व्यथित होकर द्वितीय अपील श्रीमान के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। द्वितीय अपील का निर्णय दिनांक 04.04.2022 को पारित किया जा कर अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलेक्टर सिरोही को प्रकरण दिशा–निर्देशों के साथ रिमाण्ड किया गया। तत्पश्चात् न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही द्वारा प्रकरण पुनः दर्ज कर निर्णय दिनांक 30.12.2022 को पारित किया गया तथा अपीलाण्ट द्वारा सिरोही–टोकरा ग्रामीण सड़क सीमा में अतिक्रमी मानकर अपीलाण्ट की अपील को खारिज किया गया। अपीलाण्ट द्वारा ग्रामीण सड़क पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर रखा है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधि के प्रावधित नियमो के अनुसार निर्णय पारित किये गये है जो यथावत रखे जाये।

11. रेस्पोडेण्ट्स के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी अभिकथन किया कि श्रीमान के आदेश दिनांक 04.04.2022 के अनुसार दिये गये निर्देशो की पालना में अपीलाण्ट को पुनः विधि के

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अनुसार सुना गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः मौका निरीक्षण रिपोर्ट तहसीलदर, रेवदर के पत्रांक 3012 दिनांक 28.11.2022 के संलग्न मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 26.11.2022 प्राप्त की गई। उक्त फर्द रिपोर्ट अपीलाण्ट की उपस्थिति में तैयार की गई है। उक्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलाण्ट द्वारा सड़क पर अतिक्रमण कर रखा है। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही के समक्ष प्रस्तुत की गई अपील भी खारिज की गई है। ऐसे में जो अपीलाधीन आदेश पारित किये गये है, वो विधि के अनुकूल होने से यथावत रखे जाये एवं अपीलान्ट्स की अपील खारिज की जाये।

12. हमने उपस्थित पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर चिन्तन एवं मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों का बगौर अवलोकन किया गया। जिससे यह पाया गया है कि सहायक अभियन्ता, सा.नि.वि. उपखण्ड रेवदर के पत्र दिनांक 03.9.2021 के द्वारा तहसीलदार, रेवदर को अपीलाण्ट भरत कुमार पुत्र उकाजी माली, निवासी सिरोडी व अन्य दो व्यक्तियों द्वारा ग्राम सिरोडी में सिरोडी से टोकरा जाने वाली डामर सडक (ग्रामीण सडक) पर केबिन व कच्चा शेड लगाकर ग्रामीण सड़क पर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, रेवदर द्वारा प्रकरण संख्या 35/2021 अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दर्ज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 27.09.2021 को पारित कर अपीलाण्ट व दो अन्य को ग्राम सिरोडी से टोकरा डामर सड़क पर केबीन व कच्चा शेड द्वारा अतिक्रमण मानकर अतिक्रमी घोषित किया जाकर मौके से भौतिक रूप से बेदखल करने का आदेश पारित किया गया। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, रेवदर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.09.2021 से व्यथित होकर प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही के न्यायालय में प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम अपील का निर्णय दिनांक 07 मार्च 2022 को करते हुये अपीलाण्ट को सड़क पर अतिक्रमी मानकर उक्त अपील खारिज की गई। तत्पश्चात् अपीलाण्ट द्वारा उक्त आदेश दिनांक 07.03.2022 से व्यथित होकर द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई। न्यायालय हाजा के द्वारा अपीलाण्ट की द्वितीय अपील दिनांक 04.04.2022 को आंशिक रूप से स्वीकर की जा कर प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलेक्टर सिरोही को दिशा–निर्देशों के साथ रिमाण्ड किया गया।

13. अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही द्वारा न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 04.4.2022 की पालना में पुनः अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी भरत कुमार को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया एवं तहसीलदार, रेवदर तथा सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, रेवदर से विवादित भूमि का संयुक्त मौका निरीक्षण कर मौके व रिकॉर्ड अनुसार रिपोर्ट मय नजरी नक्शे के तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण में तहसीलदार, रेवदर के पत्रांक 3012 दिनांक 28.11.2022 के संलग्न प्रस्तुत मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 26.11.2022 जो तहसीलदार, रेवदर एवं सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण, विभाग रेवदर द्वारा अपीलार्थी भरत कुमार की उपस्थिति में मौका निरीक्षण कर तैयार

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

की गई है। उक्त मौका फर्द रिपोर्ट में यह अंकित किया गया है कि मौके पर वर्तमान में श्री भरत कुमार पुत्र उकाजी माली का केबिन पूर्ववत् विद्यमान है अर्थात् सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उपखण्ड रेवदर के पत्रांक में दर्शित केबिन की साईज के अनुसार (3.60 X 7.60 मीटर) एक बडा व दो छोटे केबिन व शेड बना हुआ है। उक्त जगह श्री भरत कुमार चाय की दुकान व अल्पाहार सामग्री की बिक्री कर रहा है। उक्त केबिन व शेड सडक के मध्य बिन्दु से 12.50 मीटर की सीमा में आते हैं। उक्त केबिन के पीछे नाडी की पाल है। ग्राम पंचायत के पत्र के अनुसार पट्टा संख्या 125/1965 जिसका आंशिक भाग सडक सीमा में आया हुआ है, के संलग्न उक्त अतिक्रमित भाग पर केबिन संचालित है। राजस्व रेकर्ड के अनुसार उक्त भूमि खसरा संख्या 482 में आती है जो कि ग्राम पंचायत की आबादी भूमि है और उक्त सडक (सिरोही से टोकरा) आबादी भूमि में से चल रही है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उपखण्ड रेवदर द्वारा प्रस्तुत जवाब में यह कथन अंकित किया गया है कि आई.आर.सी. 73–1980 के उपनियम 6.1.5 के अनुसार ग्रामीण सड़क पर बिल्डिंग लाईन कुल 25 मीटर है अर्थात् सड़क मध्य से 12.5 मीटर निर्धारित है। चूकि तहसीलदार, रेवदर एवं सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, रेवदर की उक्त मौका रिपोर्ट के अनुसार अपीलाण्ट भरत कुमार का केबिन व शेड सड़क के मध्य बिन्दु से 12.50 मीटर की सीमा में आते है इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा सिरोही–टोकरा ग्रामीण सड़क सीमा की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है।

14. अपीलाण्ट का प्रश्नगत अपील में मुख्य कथन यह रहा है कि अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनने का प्रर्याप्त अवसर नही दिया गया है और न ही न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 04.04.2022 की पालना की गई है। अपीलाण्ट का उक्त कथन स्वीकार करने योग्य नही है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही द्वारा न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 04.04.2022 में दिये गये दिशा–निर्देशों की पालना में प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलाण्ट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाण्ट की ओर से उनके द्वारा नियुक्त अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई के द्वौरान उपस्थित रहे तथा इस न्यायालय के आदेश दिनांक 04.04.2022 में दिये गये निर्देशों की पालना में विवादग्रस्त भूमि की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः मौका रिपोर्ट तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय में फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 26.11.2022 को प्राप्त हुई। उक्त मौका फर्द रिपोर्ट में अपीलाण्ट के हस्ताक्षर है। उक्त मौका फर्द रिपोर्ट के अनुसार अपीलाण्ट भरत कुमार द्वारा केबिन व शेड़ द्वारा सिरोही टोकरा ग्रामीण सड़क की भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है।

15. यहां पर उल्लेखनीय है कि राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांकःप.3(2)राज–6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 के अनुसार सार्वजनिक रास्ता राजकीय भूमि/निजी खातेदारी की भूमि में से मौके पर स्थायी रूप से चालू परंतु राजस्व अभिलेख में किसी भी रूप में दर्ज नही, कई जगह कच्ची या पक्की सड़क भी बन गयी है, राजकीय भूमि/निजी खातेदारी की भूमि में से मौके पर स्थायी रूप से चालू एवं राजस्व नक्शे में रेखा बिदुओं (डॉटेड लाइन) से दर्ज सार्वजनिक रास्ते, कई जगह कच्ची या पक्की

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

सड़क भी बन गई है, इस प्रकार जहां पर चलायमान रास्ता है अथवा रहे है उनको राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज कर सकते है। जैर अपील में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व तहसीलदार से रिपोर्ट तलब की गई तथा तहसीलदार की रिपार्ट के अनसुार वादग्रस्त आराजी पर मौके पर रास्ता चालू रहा है।

16. इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालयो यथा नायब तहसीलदार रेवदर के आदेश दिनांक 27.09.2021 तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही के आदेश दिनांक 30.12.2022 में हम कोई त्रुटि होना नही पाते है तथा उसमें हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता हैं।

17. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलेक्टर, सिरोही के द्वारा राजस्व अपील संख्या 35/2022 अनवान भरत कुमार बनाम राजस्थान सरकार वगैराह में पारित निर्णय दिनांक 30.12.2022 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालयों का मूल रिकॉर्ड वापस प्रेषित किया जावे। पत्रावली दर्ज फैसल होकर बाद तामील एवं तकमील दाखिल दफ्तर की जाये। निर्णय आज दिनांक 23 सितम्बर, 2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 प्रतिभा सिंह)
सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर